न्यायालय लैण्ड रेकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 145/2017
दायर दिनांक – 03/10/2017
निर्णय दिनांक – 30/01/2018

अनवान

1. चुन्नीलाल पिता नानु अहीर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
2. लक्ष्मण पिता नानु अहीर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
3. भंवरलाल पिता नानु अहीर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा

प्रार्थीगण

बनाम

1. सोसर पिता डुंगा अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
2. सुन्दर बाई पिता डुंगा अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
3. धापु पिता डुंगा अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
4. मोहनी पिता डुंगा अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
5. मोहनी बाई बेवा नाना अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
6. गुड्डी पिता नाना अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
7. चुन्ना पिता नन्दा अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
8. नारायण पिता नोला अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
9. लोभा पिता नोला अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
10. सुन्दर बेवा रामा अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
11. चुना पिता नन्दा अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
12. कालु पिता मांगु अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
13. रतनलाल पित मांगु अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
14. जेती बाई पत्नि स्व. मांगु अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा
15. नारू पिता नोला अहिर, निवासी पीपली अहिरान, तह0– रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम पीपली अहिरान पटवार हल्का पीपली अहिरान तहसील क्षेत्र रेलमगरा की सीमा में प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य

कलक्टर
अधिकारी)

की आराजी संख्या 1371 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। प्रार्थीगण के आराजी संख्या 1371 के उत्तर दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 1372 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा व आराजी संख्या 1367 रकबा 1 बिघा 07 बिस्वा है प्रमाण में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात व विपक्षीगण की कृषि आराजी के मध्य सीमांकन के रूप में कोई स्थाई सीमा चिन्ह अंकित नहीं है न ही मौके पर कोई फेंसिंग अथवा स्थाई चिन्ह इत्यादि है। जिससे प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के बीच सीमा सम्बन्धीत विवाद, लडाई झगडा होते रहते है तथा विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण की जमीन में जबरन प्रवेश कर थोहर बाड लगाने की कोशिश करते है तथा सीमा को लेकर बराबर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण द्वारा आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद करने से एवं अनाधिकार प्रार्थीगण की आराजीयात में प्रवेश कर प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात पर कब्जा करने की कोशिस करने के कारण व विपक्षीगण अपनी आराजी में मिलाने के लिए प्रयासरत रहते है जिस कारण प्रार्थीगण ने तहसीलदार रेलमगरा के यह सीमा जानकरी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार रेलमगरा ने पटवार हल्का को सीमा जानकारी करने बाबत् आदेश दिया जिस पर दिनांक 20.05.2017 को पटवार हल्का पीपली अहिरान ने मोक पर पहुंच प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात की सीमा जानकारी करवाई एवं मौका पर्चा बनवाया एवं मोतबीरान के हस्ताक्षर करवाये तथा हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण को पत्थरगढी करवाने की हिदायत दी एवं जिस कारण दोनों के बीच भविष्य में सीमा का विवाद नही रहे क्यों कि दोनों आराजीयात के बीच स्थाई सीमांकन चिन्ह फेंसिंग एवं स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को मजबुर होकर यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत करना पड रहा है। सीमा जानकारी का पर्चा मौका साथ संलग्न है। प्रार्थीगण द्वारा पटवार हल्का पिपली अहिरान द्वारा सीमा जानकारी दिनांक 20.05.2017 को कराने के बावजुद भी विपक्षीगण नहीं मान रहा है जिस कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हेतु उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। खातेदार नाता पिता नन्दा के फोत हो जाने के कारण इनके वारिसान विपक्षी संख्या 6 व 7 को पक्षकार बनाया गया है तथा खातेदार लक्ष्मण फोत है और उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं है तथा उसके भाई नारायण व लोभा पक्षकार है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पीपली अहिरान में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1371 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के उत्तर दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 1372 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व आराजी संख्या 1367 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा के बीच पत्थरगढी कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गयी एवं पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाकंन कराये जाने हक अधिकार निहीत है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129, 111 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपली अहिरान में स्थित प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1371 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के उत्तर दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 1372 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा व आराजी संख्या 1367 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा के बीच पत्थरगढी कराये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को मौका कमिमश्नर नियुक्त किया जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार रेलमगरा पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी करा पालना से अवगत करावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।
निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शक्ति

(शक्तिसिंह भाटी)
लैण्ड रेकार्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा